

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 628/10

संस्थापन दिनांक:-31/12/10

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

राजा पिता सुखदास मोरले,
 उम्र 25 वर्ष, निवासी पुरानी बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 (दो बार) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 27.12.2010 को रात्रि करीब 10:00 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत अपने मकान के सामने आम रोड बोड़खी में अमन, लखन एवं प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त राजू पिता सुखदास के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2015 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। यह निर्णय केवल अभियुक्त राजा पिता सुखदास के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 27.12.2010 को रात्रि 10 बजे मजदूरी कर घर वापस आ रहा था। जैसे ही वह राजा मोरले के मकान के सामने गली में पहुंचा तभी अभियुक्त राजा ने गली में आकर उसका रास्ता रोका और मोबाईल चोरी की बात कहकर तलवार जैसी चीज से उसे मारा जो उसके दाहिनी कंधे के नीचे सामने तरफ एवं दोनों पैरों की पिंढली पर चोट लगी। उसके पीछे आ रहे लखन और प्रदीप ने जब बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ भी तलवार जैसी चीज से मारपीट की जिससे लखन के दोनों हाथ की कलाई एवं प्रदीप को बांये हाथ की कोहनी एवं बांये पैर की पिंढली पर चाट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 348/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के

दौरान फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी/आहत अमन, प्रदीप एवं लखन का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमन तथा लखन एवं प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

7 अमन (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना रात्रि 10 बजे की है। अभियुक्त राजा ने उसे रोककर तलवार से उसके बांये कंधे के नीचे मारा जिससे उसे चोट लगी एवं खून निकला था। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी लखन (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि उसे उसके भाई अमन के चिल्लाने की आवाज आयी तो वह मौके पर गया तो उसने देखा कि अभियुक्त राजा ने उसके भाई को तलवार से मार दिया तथा जब उसने बचाव किया तो उसे भी अभियुक्त ने बांये हाथ की कलाई में मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। प्रदीप (अ.सा.-2) ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि वह तथा उसका भाई अमन को

अभियुक्त ने घर पर बुलाया और अमन के साथ तलवार से मारपीट की तथा उसे पैर, हाथ और शरीर के अन्य भागों पर तलवार से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। बीच बचाव अजय ने किया था। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि घटना की रिपोर्ट अमन के द्वारा लेख करायी गयी थी और वह भी साथ में थाने गये थे उनका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था।

8 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 27.12.2010 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहतगण लखन, अमन, और प्रदीप का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत लखन की बांयी अग्र भुजा के पीछे तरफ 3 गुणा आधा सेमी. आकार का एवं दाहिनी अग्र भुजा के पीछे 3 गुणा आधा सेमी. आकार का कटा हुआ घाव था एवं आहत अमन के बाये कंधे के आगे तरफ 2 गुणा 1 इंच माशपेशी की गहराई तक का कटा हुआ घाव था तथा आहत प्रदीप की बांयी अग्र भुजा के पीछे 2 गुणा 1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव था, बांयी कोहनी पर 2 गुणा 1 इंच आकर की सूजन, बांये घुटने के नीचे 2 गुणा 1 सेमी. का कटा हुआ घाव एवं बांयी स्केपुला हड्डी पर 4 सेमी. लंबा सीधा कट था। उपर्युक्त साक्षी ने आहतगण को आयी चोट धारदार हथियार से एवं परीक्षण के छह: घंटे के भीतर आना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी एवं लखन (अ.सा.-1), प्रदीप (अ.सा.-2) एवं अमन (अ.सा.-8) के कथनों से आहतगण को चोटें आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

9 बसंत मिरासे (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 23.12.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक मोहर्रिर के पद पर पदस्थ रहते हुए बोड़खी चौकी से प्राप्त अपराध क्र. 38/10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को थाने के असल अपराध क्र. 348/10 में प्रदर्श पी-4 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना बताया है।

10 शिवराम यादव (अ.सा.-9) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 27.12.2010 को थाना आमला में बोड़खी चौकी में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रार्थी अमन की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 38/10 में (प्रदर्श प्री-5) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना एवं असल कायमी पश्चात केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-6) तैयार जाना तथा अभियुक्त राजा को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि आहतगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है

तथा अन्य साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि साक्षी अजय (अ.सा.-6) ने अभियोजन कथा का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं तथा साक्षी राम मेहर (अ.सा.-5) एवं रामकुमार (अ.सा.-3) अनुश्रुत साक्षी हैं। रामकुमार (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि उसे फोन पर यह सूचना मिली तो वह मौके पर गया और उसने देखा कि अभियुक्त राजा अमन, लखन एवं प्रदीप के साथ मारपीट कर रहा था परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था और उसके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथनों से अभियोजन का समर्थन नहीं हो रहा है परंतु मात्र उक्त साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला ध्वस्त नहीं हो जाता है।

13 राम मेहर (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि रात के लगभग 10 बजे घटना के बाद उसे फरियादी अमन (अ.सा.-8) मिला था जिसने यह बताया था कि उसके साथ अभियुक्त राजा ने मारपीट की है तथा प्रदीप और लखन के साथ भी मारपीट किये थे। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि कुछ समय बाद लखन (अ.सा.-1) एवं प्रदीप (अ.सा.-2) भी आ गये और फिर वह उन सभी को लेकर पुलिस चौकी बोड़खी गया। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी है जिसने घटना नहीं देखी थी परंतु घटना के तत्काल पश्चात आहत का उक्त साक्षी से मिलना तथा आहत के शरीर पर चोट के निशान देखे जाने से उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन का आंशिक समर्थन तो होता ही है।

14 बचाव अधिवक्ता के इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में कि अभिलेख पर मात्र आहतगण के कथन उपलब्ध हैं, इसलिए अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस.सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धी स्थिर की जा सकती है। अतः लखन (अ.सा.-1) प्रदीप (अ.सा.-2) एवं अमन (अ.सा.-8) के कथनों से देखा जाना है कि उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं।

15 अमन (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना रात्रि 10 बजे की होना प्रकट करते हुए यह बताया है कि वह अपने घर वापस जा रहा था तभी अभियुक्त राजा ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे तलवार से मारा। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसे बचाने के लिए उसके मौसेरे भाई लखन (अ.सा.-1) एवं प्रदीप (अ.सा.-2) आये तो अभियुक्त राजा ने उनके साथ भी तलवार से मारपीट की थी। जबकि लखन (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि घटना शाम 7 बजे की है तथा उसे उसके भाई अमन के चिल्लाने की आवाज आयी थी तो वह रुका और यह देखा कि अभियुक्त राजा अमन के साथ तलवार से मारपीट कर रहा था तथा मौके पर प्रदीप (अ.सा.-2) भी था जिसके साथ भी अभियुक्त राजा मारपीट कर रहा था। जब वह बीच बचाव के लिए गया तो उसे भी अभियुक्त ने तलवार से बाँये हाथ की कलाई पर मारा था। प्रदीप (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह और अमन (अ.सा.-8) घर की तरफ जा रहे थे तब अभियुक्त राजा ने उन्हें घर में बुलाया और घर के अंदर उसके तथा अमन के साथ मारपीट की और जब लखन बीच बचाव के लिए आया तो उसके बाद लखन को भी तलवार से मारा।

16 अमन (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि घटना अभियुक्त राजा के घर के अंदर की शाम के 7-8 बजे की है तथा अभियुक्त राजा ने उसे घर पर बुलाया था। लखन (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे किस हथियार से मारा था, वह देख नहीं पाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि घटना के समय उसकी अभियुक्त से कोई बातचीत नहीं हुई थी तथा उसने घटना की जानकारी केवल पुलिस को दिया था। राम मेहर (अ.सा.-5) ने साक्षी अमन, प्रदीप एवं लखन को पुलिस थाने में लाकर रिपोर्ट करना बताया है। जबकि स्वयं आहगण ने अपने कथनों में यह प्रकट नहीं किया है कि उन्होंने घटना की जानकारी राम मेहर (अ.सा.-5) को दी हो। अभियोजन कथा अनुसार फरियादी अमन का अभियुक्त राजा ने रास्ता रोककर उसे मोबाईल चोरी बात पर से तलवार जैसे चीज से मारा तथा फरियादी के पीछे आ रहे उसके मौसेरे भाई लखन एवं प्रदीप ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी तलवार जैसी किसी चीज से मारा। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। साथ ही अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। घटना स्थल एवं घटना के समय तथा चोट कारित किये जाने वाले हथियार के संबंध में भी साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। तब ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आहत अमन, लखन एवं प्रदीप को आयी चोट अभियोजन द्वारा वर्णित घटना के क्रम में अभियुक्त राजा के द्वारा कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्त राजू के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में अमन को बचाने आये लखन और प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त राजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 / 34 (दो बार) के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20 प्रकरण में अभियुक्त राजू पिता सुखदास के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2015 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)